राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 4298/2024

बलवीर उर्फ बीरा पुत्र मंगत सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी मुठियावाला, पुलिस स्टेशन-पट्टीमोड़, जिला तरनतारन, पंजाब

(वर्तमान में जेल श्रीकरणपुर में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री आर.एस. भाटी
		श्री ईश्वर सिंह
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री अरुण कुमार, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

07/08/2024

1. आवेदक पुलिस स्टेशन श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज एफआईआर संख्या 145/2022 के तहत दर्ज अपराध के संबंध में गिरफ्तार है, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 8/21 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 465, 468, 471 और 379 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए इस आवेदन के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

2. इससे पहले, आवेदक ने प्रथम जमानत आवेदन दायर करके जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया था, जिसे मामले की योग्यता पर विचार किए बिना निपटा दिया गया था क्योंकि बीएसएफ के जब्ती अधिकारी जी. गोपीनाथ गणेशन के बयान दर्ज करने के बाद नए सिरे से आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता नहीं थी। फिर भी उक्त अधिकारी के बयान दर्ज करने से पहले, यह दूसरी जमानत अर्जी पेश की गई है।

3. जमानत के प्रश्नों के संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने से पहले वर्तमान मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित होगा जो इस प्रकार हैं कि 27.07.2022 को कोहली स्थित बीएसएफ सीमा चौकी के निरीक्षक जी. गोपीनाथ गणेशन पुलिस स्टेशन श्रीकरणपुर में उपस्थित हुए और पांच पैकेटों के साथ एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार, 26 और 27 जुलाई, 2022 की मध्य रात्रि में सीमा सुरक्षा बल की 10वीं बटालियन को अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान से संभावित संदिग्ध गतिविधि का सुझाव देने वाली सूचना मिली। परिणामस्वरूप, एक टीम का गठन किया गया और सतर्कता के लिए एक अभियान चलाया गया। मध्य रात्रि में, वहां उगे जंगली पौधों की आड़ में कुछ संदिग्ध हलचल देखी गई और टीम को कुछ गिरने/फेंकने की आवाज सुनाई दी। सीमा के आसपास के क्षेत्र की तलाशी के दौरान, फ्लडलाइट नंबर 584 के पास पांच पैकेट बरामद किए गए, जिनमें कुछ संदिग्ध वस्तु होने का संदेह था। इसी दौरान, दो भारतीय नागरिक एक ब्रेजा कार में अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर आते देखे गए, जिसका पंजीकरण नंबर पीबी-65-एबी-5522 था, लेकिन बीएसएफ के जवानों को देखकर, उन्होंने तुरंत अपनी कार मोड़ ली और भाग गए। पैकेटों का वजन 4.730 किलोग्राम पाया गया। जब पुलिस ने पैकेट खोलकर जांच की, तो उसमें हेरोइन पाई गई, जिसे कानून के अनुसार बरामद किया गया और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई। बाद में पता चला कि दो व्यक्ति, जिन्हें हिन्दुमलकोट पुलिस ने उक्त ब्रेजा कार के साथ दुर्घटना करने के आरोप में पकड़ा था, उस खेप की डिलीवरी लेने के लिए वहां आए थे, लेकिन सफल नहीं हो सके।

4. सबसे पहले आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि बीएसएफ अधिकारी ने पुलिस को घटना की रिपोर्ट बिना किसी कारण के देरी से दर्ज कराई। मामले में आरोप पत्र पेश किए जाने के बाद, दो औपचारिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष लंबे समय तक शेष सामग्री गवाहों को पेश नहीं कर पाया है, जिससे मुकदमे में देरी हो रही है। आरोपी 27.07.2022 से हिरासत में है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त नहीं किया गया है। आरोपी को बरामदगी के स्थान से 70-80 किमी दूर पकड़ा गया था और याचिकाकर्ता के भौतिक कब्जे से प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ था। बरामदगी की कार्यवाही में कई कानूनी कमियां रही हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला अस्थिर हो गया है। प्रस्तुतियों को समाप्त करते हुए, उन्होंने दावा किया कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करके उपरोक्त दलीलों को पुष्ट किया:-

1 ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया

2 नूर आगा बनाम पंजाब राज्य (2008) 16 एससीसी 417 में रिपोर्ट किया गया

3 काशिफ बनाम एनसीबी दिल्ली (जमानत आवेदन संख्या 253/2023, 18.05.2023 को तय)

4 मोहम्मद खालिद बनाम तेलंगाना राज्य (2024) 5 एससीसी 393 में रिपोर्ट किया गया

5 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 में रिपोर्ट किया गया

5. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तुतियों पर आपत्ति जताते हुए दृढ़ता से कहा कि मामले में बरामद 04.730 किलोग्राम प्रतिबंधित हेरोइन वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध लागू होते हैं। रिकॉर्ड पर इस तथ्य के संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत हैं कि जमानत याचिकाकर्ता नशीले पदार्थों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लिप्त है, इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है। इसलिए, वह आवेदक की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करता है।

6. मैंने आवेदक के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

7. आवेदक के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्यों को देखने के पश्चात, मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है, जिससे आवेदक को 04.730 किलोग्राम प्रतिबंधित हेरोइन की बरामदगी के आरोप से जोड़ा जा सके। अभिलेख के अवलोकन से, प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि एनडीपीएस अधिनियम और सीआरपीसी के विभिन्न प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिए जाने वाले मुद्दों को इस स्तर पर प्रतिबंधित दवा की अंतरराष्ट्रीय तस्करी के ऐसे मामले में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए सभी तर्कों के संबंध में स्थिति, परीक्षण के दौरान दर्ज किए जाने वाले जब्ती अधिकारी और जांच अधिकारी के बयानों से ही स्पष्ट हो सकती है। इसलिए, यह समीचीन है कि इन

दोनों गवाहों के बयान परीक्षण के दौरान दर्ज किए जाएं। जहां अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता की मध्य रात्रि में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मौजूदगी का कोई वैध कारण नहीं हो सकता है, ठीक पाकिस्तान से खेप के आने के समय। भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है और याचिकाकर्ता पहले से ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है।

8. इस न्यायालय का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी एक वैश्विक खतरा है जो व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों को अपूरणीय क्षति पहुँचाती है। यह एक बहुआयामी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी आज दुनिया में सबसे व्यापक और विनाशकारी आपराधिक उद्यमों में से एक है। यह अवैध व्यापार हिंसा को बढ़ावा देता है और सरकारों को अस्थिर करता है। नशीली दवाओं के व्यापार से होने वाला भारी मुनाफा कानून के शासन को कमजोर करता है क्योंकि आपराधिक संगठन वैध अधिकारियों के बराबर शक्ति और प्रभाव रखते हैं।

9. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ राय रखता है कि चूंकि याचिकाकर्ता से बरामद की गई मनोविकृति दवा की मात्रा अनुसूची में निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से काफी अधिक है, इसलिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ काम करते हैं और इसलिए, वह इस स्तर पर जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। उद्धृत मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई लाभ नहीं निकाला जा सकता।

10. इस मामले को देखते हुए, मैं आवेदक बलवीर उर्फ बीरा को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं हूं। इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

11. हालांकि, याचिकाकर्ता की हिरासत को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास करे और 6 महीने के बाद प्रगति स्थिति रिपोर्ट भेजे। यहां पर जो कुछ भी देखा गया है, उसे मामले की योग्यता पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इसका उद्देश्य केवल वर्तमान आवेदन पर निर्णय लेना है।

12. आदेश की प्रति संबंधित ट्रायल कोर्ट को ई-मेल की जाए।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।